

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:- एन.एम. पहाड़िया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):- 25/2018 (RCMS No. 2018/00052)

उनवान:-

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर \_\_\_\_\_ प्रार्थी

बनाम

1. भरोसी पुत्र ल्होरे जाति मीणा निवासी गांव पदमापुर तहसील सरमथुरा
2. चन्दन पुत्र ल्होरे जाति मीणा निवासी गांव पदमापुर तहसील सरमथुरा
3. लाखन सिंह पुत्र भौरु जाति मीणा निवासी गांव पदमापुर तह0 सरमथुरा
4. जयसिंह पुत्र भौरु जाति मीणा निवासी गांव पदमापुर तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर \_\_\_\_\_ अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103 राज0 सह0सोसायटी. अधिनियम 2001 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत।

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से:- श्री फरमान वेग, प्रतिनिधि बैंक

निर्णय दिनांक:- 31.07.2018

निर्णय

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 404660/- रुपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधिपार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस एवं अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सके उस सम्पत्ति

  
(नन्मल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर




को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये हैं। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओं के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानों के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नहीं करने वाले अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओं के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय टिप्पणी, नोटिस दिनांक 17.02.12, डिक्री आदेश 11.12.14, निष्पादन आदेश दिनांक 03.02.15, विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 03.03.16, 07.05.16, 02.06.16, 03.05.17 मांग का नोटिस की प्रति-04, कृषि भूमि की नीलामी की सूचना, रहननामा की प्रति, जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 ग्राम पदपमुरा एवं जखा (गौलारी नं.1) व सम्बत् 2073-2074, 2073-2076 ग्राम धनेरा पेश की।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 404660/- रुपये (जिसमें से अवधि पार असल 171955/- रुपये, ब्याज 169438/- रुपये, द0ब्याज 36767/- रुपये वसूली व्यय 26500/- रुपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव

  
(मन्मूल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
बीलपुर



संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 4835 रकवा 03 विस्वा, खसरा नम्बर 4836 रकवा 0.02 बीघा, ख0नं0 4837 रकवा 0.03 बीघा, ख0नं0 4838 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 4839 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 4840/2 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 4916/4 रकवा 0.18 बीघा, ख0नं0 4937 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 4938 रकवा 0.19 बीघा, ख0नं0 5077 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 5078 रकवा 0.11 बीघा, ख0नं0 5037 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 5138 रकवा 0.02 बीघा, ख0नं0 1550/2 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 5153 रकवा 0.12 बीघा, ख0नं0 5155 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 5156 व 5160 रकवा 1.06 बीघा, ख0नं0 5157 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 5158 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 5165 रकवा 0.17 बीघा, 5166 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 5239 रकवा 0.10 विस्वा कुल रकवा 10 बीघा 07 विस्वा बांके ग्राम सरमथुरा का 1/2 भाग, ख0नं0 613 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 624 रकवा 0.03 बीघा, ख0नं0 625 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 626 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 627 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 रकवा 628 रकवा 17 विस्वा, ख0नं0 629 रकवा 1 विस्वा, ख0नं0 632 रकवा 04 विस्वा, ख0नं0 633 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 634 रकवा 01 विस्वा, ख0नं0 635/24 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 635/25 रकवा 1.15 बीघा कित्ता 12 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा बांके ग्राम जखा तहसील सरमथुरा का 1/2 भाग ख0नं0 1543, 1544 रकवा 2.03 बीघा बांके ग्राम धनेरा का 1/3 भाग, ख0नं0 1502 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 1541 रकवा 5.18 बीघा, ख0नं0 1588 रकवा 1 विस्वा, ख0नं0 1627 रकवा 3.05 बीघा, ख0नं0 1686 रकवा 7.06 बीघा कित्ता 05 रकवा 18 बीघा 10 विस्वा बांके ग्राम धनेरा का 2/21 भाग कुल भूमि 09 बीघा 15 विस्वा, जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 404660/- रूपये जमा नही करवाई गई है तथा अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 4835 रकवा 03 विस्वा, खसरा नम्बर 4836 रकवा 0.02 बीघा, ख0नं0 4837 रकवा 0.03 बीघा, ख0नं0 4838 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 4839 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 4840/2 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 4916/4 रकवा 0.18 बीघा, ख0नं0 4937 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 4938 रकवा 0.19 बीघा, ख0नं0 5077 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 5078 रकवा 0.11 बीघा, ख0नं0 5037 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 5138 रकवा 0.02 बीघा, ख0नं0 1550/2 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 5153 रकवा 0.12 बीघा, ख0नं0 5155 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 5156 व 5160 रकवा 1.06 बीघा, ख0नं0 5157 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 5158 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 5165

(निम्नमल पहाड़िया,  
जिला कलेक्टर  
धौलपुर)




रकवा 0.17 बीघा, 5166 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 5239 रकवा 0.10 विस्वा कुल रकवा 10 बीघा 07 विस्वा बांके ग्राम सरमथुरा का 1/2 भाग, ख0नं0 613 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 624 रकवा 0.03 बीघा, ख0नं0 625 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 626 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 627 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 रकवा 628 रकवा 17 विस्वा, ख0नं0 629 रकवा 1 विस्वा, ख0नं0 632 रकवा 04 विस्वा, ख0नं0 633 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 634 रकवा 01 विस्वा, ख0नं0 635/24 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 635/25 रकवा 1.15 बीघा किता 12 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा बांके ग्राम जखा तहसील सरमथुरा का 1/2 भाग ख0नं0 1543, 1544 रकवा 2.03 बीघा बांके ग्राम धनेरा का 1/3 भाग, ख0नं0 1502 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 1541 रकवा 5.18 बीघा, ख0नं0 1588 रकवा 1 विस्वा, ख0नं0 1627 रकवा 3.05 बीघा, ख0नं0 1686 रकवा 7.06 बीघा किता 05 रकवा 18 बीघा 10 विस्वा बांके ग्राम धनेरा का 2/21 भाग (कुल भूमि 09 बीघा 15 विस्वा) को जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति नही बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थीगण पर करवाई गई किन्तु बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नही करवाई और नही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते है। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(एन.एम.पहाडिया)  
जिला कलेक्टर, धौलपुर  
जिला कलेक्टर  
धौलपुर